

## अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निर्देश

अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता आयोग में स्वयं उपस्थित होकर अथवा हाईब्रिड मोड (Hybrid Mode) से नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से सुनवाई में प्रतिभाग कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता से यह भी अपेक्षित है कि सुनवायी में भाग लेने हेतु उनके द्वारा चयनित मोड (Hybrid व अन्य) के सम्बन्ध में अपना चयन नीचे दिये गये लिंक पर इंगित करना सुनिश्चित करें, उक्त लिंक पर सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व चयन अंकित करना आवश्यक है।

द्वितीय अपील / शिकायत से सम्बन्धित जिस अभिलेख को मात्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हों, उसे ईमेल के माध्यम से सुनवायी की तिथि से एक सप्ताह पूर्व आयोग को उपलब्ध करायें।

\*\*\*\*\*

## प्रत्युत्तरदाताओं के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निर्देश

प्रत्युत्तरदाता व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से या तो आयोग में स्वयं उपस्थित होकर अथवा हाईब्रिड मोड (Hybrid Mode) से नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से सुनवाई में प्रतिभाग करें।

प्रत्युत्तरदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस अपील-मेमोरेण्डम के सापेक्ष नीचे वर्णित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं अथवा प्रतिनिधि जो विभाग के राजपत्रित / वरिष्ठ अधिकारी हों सुनवाई में प्रतिभाग करें।

सुनवायी में भाग लेने हेतु उनके द्वारा चयनित मोड (Hybrid व अन्य) के सम्बन्ध में अपना चयन नीचे दिये लिंक पर इंगित करना सुनिश्चित करें, उक्त लिंक पर सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व चयन अंकित करना आवश्यक है।

अपीलार्थी द्वारा राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 के द्वारा नियम-3 और नियम-4 के अन्तर्गत प्राविधानित प्रस्तुत सामग्री को लिंक <<Click here to search your case>> में संबंधित द्वितीय अपील / शिकायत की संख्या दे कर <<View Documents>> के माध्यम से देखा / download किया जा सकता है।

लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई की तिथि से एक सप्ताह पूर्व आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख			
लोक सूचना अधिकारी		विभागीय अपीलीय अधिकारी	
क.	अपीलकर्ता / प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर (सुनवाई से एक सप्ताह पूर्व आयोग को प्रेषित करें)।	क.	अपील पर बिंदुवार लिखित उत्तर, (सुनवाई से एक सप्ताह पूर्व आयोग को प्रेषित करें)।
ख.	पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो, तथा	ख.	पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत की गयी हो, तथा
ग.	लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका में दर्ज सम्बन्धित अनुरोध पत्र की छाया प्रति	ग.	निर्धारित विभागीय अपील पंजिका में दर्ज सम्बन्धित प्रथम अपीलीय पत्र की छायाप्रति

घ.	लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गये सूचना की प्रतियां	घ.	विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति
च.	नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के पूर्व	च.	नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य के

**Link for selecting Participation Mode**  
सुनवाई में प्रतिभाग करने हेतु मोड के चयन हेतु लिंक

<https://uic.uk.gov.in>  
**Hybrid Hearing Mode Selector**

**Link for Hybrid Mode**  
हाईब्रिड मोड से प्रतिभाग करने हेतु लिंक

<https://uic.uk.gov.in>  
**Hybrid Hearing Links**

## Hybrid (Video Call) रूप से द्वितीय अपील/शिकायत में प्रतिभाग करने की प्रक्रिया

- Hybrid रूप से सुनवायी स्मार्टफोन/टैबलेट/लैपटॉप/कम्प्यूटर के प्रयोग से Google Meet के प्रयोग से की जा सकती है।
- Google Meet सभी android smartphone पर उपलब्ध होता है। यदि आपके smartphone पर यह नहीं उपलब्ध हो तो Google Play Store अथवा Apple Store (आईफोन हेतु) से डाउनलोड कर सकते हैं।
- Hybrid रूप से सुनवायी में प्रतिभाग करने हेतु सुनवायी की तिथि से एक दिन पूर्व अप. 2:30 बजे तक आयोग की वेबसाईट [uic.uk.gov.in](https://uic.uk.gov.in) पर जा कर तथा Hybrid Hearing Mode Selector पर क्लिक कर सुनवायी हेतु Hybrid Video Call माध्यम से अपनी उपस्थिति करने के संबंध में अपना चुनाव अंकित करें।
- यदि आप smartphone का प्रयोग नहीं करते हैं तो Hybrid Hearing Mode Selector पर Hybrid Audio Call क्लिक कर सुनवायी में माध्यम से अपनी उपस्थिति करने

के संबंध में अपना चुनाव अंकित करते हुये अपना फोन नम्बर अंकित करें। ऐसी स्थिति में सुनवायी की तिथि पर आयोग आपके दिये फोन नम्बर पर आयोग से कॉल की जायेगी।

- Hybrid Video Call से सुनवायी किये जाने हेतु सुनवायी की तिथि पर प्रातः 10 बजे आयोग की वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ के ऊपरी दायीं ओर स्थित लिंक Hybrid Hearing पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आयोग की विभिन्न बैंच के Hybrid Hearing लिंक दर्शाये जायेंगे।
- आयोग की जिस बैंच में आपकी द्वितीय अपील/शिकायत सुनवायी हेतु नोटिस आपको प्राप्त हुआ हो, उस बैंच के लिंक पर क्लिक करें।
- दर्शाये गये पृष्ठ पर Ask to Join क्लिक करें तथा अपनी द्वितीय अपील/शिकायत का क्रम आने का इंतजार करें।
- चयनित बैंच द्वारा वाद-सूची के अनुसार यथासमय आपकी द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवायी की जायेगी।
- उक्त के संबंध में अधिक जानकारी हेतु श्री राजेश नैथानी से दूरभाष नम्बर 9412052000 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।